



दूरभाष

0522-2288656

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।**

फैक्स 0522-2288655

E-Mail-cehydelpl@gmail.com

संख्या:- 273 -अ-7 / मु०अ०(ज०वि०) / अधि० आ० / नियमित / 2017

दि०:-मार्च, 08, 2017

कार्यालय-ज्ञापन

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं उ०प्र० जल-विद्युत निगम लि० के अधोनामित अधिकारीगणों के नाम लखनऊ स्थित विभागीय अधिकारी कालोनी में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 04 में अंकित विवरण के अनुसार समिति ने निर्णय लिया:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा तैनाती स्थान	पूर्व आवंटित आवास	टिप्पणी
1	2	3	4
1	श्री सुनील कुमार मिश्रा, लेखाधिकारी, लेखा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ	इन्द्रलोक 4/32	आवास संख्या 4/32, इन्द्रलोक कालोनी के अभिधारण लेने हेतु कमेटी ने उनकी विशेष चिकित्सकीय कठिनाई के दृष्टिगत आदेश की तिथि से एक माह का समय विस्तार प्रदान किया जाता है।
2	श्री अशोक सुन्दरम (अभिज्ञान सं०-92036) अधिशासी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।	इन्द्रलोक 4/5	दि० 04.08.2009 से दि० 30.06.2010 तक शिक्षा सत्र का लाभ प्रदान किये जाने की संस्तुति समिति ने प्रदान की है इसके पश्चात का अध्यासन अवैध समझा जायेगा।
3	श्री सुरेश चन्द्र बुनकर अभिज्ञान सं०-92100), अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल-विद्युत निगम, लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	इन्दिरानगर बी-305	दि० 30.04.2016 से दि० 30.06.2016 तक शिक्षा सत्र का लाभ प्रदान किये जाने की संस्तुति समिति ने प्रदान की इसके पश्चात का अध्यासन अवैध समझा जायेगा।
4	श्री एस०के०निर्मल अभिज्ञान सं०-92116), अधिशासी अभियन्ता, रेगुलेट अफेयर्स यूनिट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	प्रयाग नारायण रोड 4/7	दि० 01.07.2011 से इनका अध्यासन अवैध समझा जायेगा।

**मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
अध्यक्ष, अधिकारी आवास आवंटन समिति**

संख्या:- 273 -अ-7 / तददिनांक: 08/03/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता(जानपद) पारेषण-द्वितीय, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता(वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ की वह सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य अभियन्ता, (जल-विद्युत) के शिविर सहायक।
5. सम्बन्धित पदधारी।
6. कटफाइल।

(एम०के० जाखनवाल)

संयोजक एवं सदस्य

अधिकारी आवास आवंटन समिति

कृते मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)